



सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि:- 10/11/2025

क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल मध्य प्रदेश
द्वितीय तल, शुभ कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल, (म.प्र.)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 30 (तीस दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि	
1.	अजवार, जिला- डिंडोरी (म.प्र.) मोब न:- 75099 77100	1.श्री संदीप कंसकार पिता श्री निरोत्तम कंसकार (मूल उधारकर्ता) पता :- वार्ड क्र. 6 गल्ला गोदाम तहसील एवं जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश 2.श्री उत्तम चंद कंसकार (मृतक) पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता एवं संपत्ति बंधककर्ता) पता :- वार्ड क्र. 6 गल्ला गोदाम तहसील एवं जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश वारिसगण (क).श्रीमती कमला कंसकार (पत्नी) (ख).श्री वीरेंद्र कंसकार (पुत्र) (ग).श्री हिरेन्द्र कंसकार (पुत्र) (घ).श्री सुरेन्द्र कंसकार (पुत्र) यदि कोई अन्य वारिसगण हो तो सभी निवासी वार्ड क्र. 6 गल्ला गोदाम तहसील एवं जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश 3.श्री चंद्रभान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता / संपत्ति बंधककर्ता) पता :- वार्ड क्र. 6 गल्ला गोदाम तहसील एवं जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश	रु.22,71,928/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	प्रथम संपत्ति का विवरण 1. बंधक भूमि/भवन:-खसरा न.2/29, वार्ड क्रमांक 5, गल्ला गोदाम के पास, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- श्री उत्तमचंद कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार चतुसीमा:- उत्तर:-सड़क दक्षिण:-नरोत्तम की भूमि पूर्व:- सड़क पश्चिम:-नाला कुल क्षेत्रफल 30*50 = 1500.00 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/ इकाई ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 03/04/2025 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-08/07/2025 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु	40,00,000/-
					रु	4,00,000/-
					रु	10,000/-
				द्वितीय संपत्ति का विवरण 2. बंधक भूमि/भवन:- खसरा न.108/1 अमरपुर, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- श्री चंद्रभान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार चतुसीमा:- उत्तर:-अमरपुर सलवाह मार्ग दक्षिण:-स्वयं की भूमि पूर्व:- शिखरचंद का हिस्सा एवं सरकारी भूमि पश्चिम:-याकूब खान की जमीन कुल क्षेत्रफल 20*40 = 800.00 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/ इकाई ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 03/04/2025 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-08/07/2025 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु	15,00,000/-
					रु	1,50,000/-
					रु	10,000/-



क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
2.	सीधी (म.प्र.) मोब न:- 96853 53674	1.श्रीमति पुष्पा सिंह पत्नी श्री दिनेश प्रताप सिंह (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता :-ग्राम सुखवारी उत्तर ,पटवारी हल्का सुखवारी मझारी तहसील गोपद बनास जिला सीधी मध्य प्रदेश -486661	रु.27,46,023/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण 1. बंधक भूमि/ भवन:-खसरा क्र. 120/2 ग्राम सुकवारी उत्तर ,पटवारी हल्का सुकवारी मझारी तहसील गोपद बनास, जिला सीधी, मध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- श्रीमति पुष्पा सिंह पत्नी श्री दिनेश प्रताप सिंह चतुसीमा:- उत्तर:-सह पट्टेदारों की भूमि दक्षिण:-यादबेन्द्र सिंह की भूमि पूर्व:- यादबेन्द्र सिंह की भूमि पश्चिम:- सह पट्टेदारों की भूमि कुल क्षेत्रफल 0.16 हेक्टर ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 06/03/2025 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-09/07/2025 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु	9,00,000/-
					रु	90,000/-
					रु	5,000/-
3.	रीवा (म.प्र.) मोब न:- 70000 85241	1.मो. ताजुद्दीन खान पुत्र मोमिन खातून (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) (1).पता :-वार्ड क्र.23 शास्त्री नगर ,ललऊ घाट, बड़ी दरगाह के पीछे , सरदार आखाडा के पास , जिला रीवा, मध्य प्रदेश -486001 (2).पता :-ग्राम अमिरती थाना एवं तहसील गुढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश (3).पता :- तरहटी रीवा थाना सिटी कोतवाली रीवा तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश 2.सायरा बानो पत्नी मो. ताजुद्दीन खान (सह-उधारकर्ता) (1).पता :-वार्ड क्र.23 शास्त्री नगर ,ललऊ घाट, बड़ी दरगाह के पीछे , सरदार आखाडा के पास , जिला रीवा, मध्य प्रदेश -486001 (2).पता :-ग्राम अमिरती थाना एवं तहसील गुढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश (3).पता :- तरहटी रीवा थाना सिटी कोतवाली रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्य प्रदेश 3.मो.शाफ़िक अंसारी पुत्र मो. शरीफ अंसारी (गारंटीदाता) पता :-मकान क्र.309/26 वार्ड क्र.26 बिछिया रीवा मध्य प्रदेश	रु.1,56,661/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण 1. बंधक भूमि/ भवन:-खसरा क्र. 568/1/ब/1 वार्ड क्र.23 शास्त्री नगर ,ललऊ घाट, बड़ी दरगाह के पीछे , सरदार आखाडा के पास , जिला रीवा मध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- मो. ताजुद्दीन खान पुत्र मोमिन खातून चतुसीमा:- उत्तर:- करीम बख्श उर्फ मुन्ना अंसारी की बुनियादी / पिल्ल. युक्त भूमि दक्षिण:- अब्दुल शकूर अंसारी की मय बाउंड्री बाल एवं शेष भूमि एवं मकान पूर्व:- हल्ली बेगम मंसूरी का मकान एवं संपत्ति पश्चिम:- 08 फीट चोड़ा चीप- पटिया का खड़जा कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 10*40=400.00 वर्ग फीट/0.004हे./37.174 वर्ग मीटर उस पर निर्मित भवन/ इकाई ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 02/04/2025 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-26/06/2025 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु	15,60,000/-
					रु	1,56,000/-
					रु	5,000/-

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
4.	पीनोरा, जिला- उमरिया (म.प्र.)	1.श्री विद्यासागर उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) (क).पता:-ग्राम मुदरिया , पोस्ट पाली , जिला उमरिया (म.प्र.) (ख).पता :-मकान क्रमांक 2/7 , लाल बहादुर वार्ड क्रमांक-2,राधे कृष्ण मंदिर एवं मानस मण्डल स्कूल के पास ,थाना - कुठला, कटनी (म.प्र.) 2.श्री पदमराग उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय (गारंटीदाता) पता:-ग्राम मुदरिया , पोस्ट पाली , जिला उमरिया (म.प्र.)	रु.15,28,665/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण 1. बंधक भूमि/ भवन:- खसरा क्रमांक 196 ,पटवारी हल्का क्रमांक -05, ग्राम मुदरिया , पोस्ट पाली , जिला उमरिया मध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- श्री विद्यासागर उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय चतुसीमा:- उत्तर:- बिलोहा की भूमि दक्षिण:- विक्रेता की भूमि पूर्व:- रास्ता पश्चिम:-विक्रेता की भूमि कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 40*50=2000.00 वर्ग फीट/ उस पर निर्मित भवन/ इकाई ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 24/05/2013 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-15/05/2014 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु 4,15,000/-
					रु 41,500/-
					रु 5,000/-
5.	सोहागपुर जिला- शहडोल (म.प्र.)	1.इन्फ्राटेक सेल्स एण्ड सर्विस प्रोप श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता:-ग्राम धनपुरा , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल मध्य प्रदेश 2. श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) (क).पता:-ग्राम धनपुरा , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल मध्य प्रदेश (ख).पता :- बड़ा अखाड़ा के पास , देवी जी मार्ग ,जिला मैहर, मध्य प्रदेश	रु.10,46,681/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण 1. बंधक भूमि/ भवन:- खसरा क्रमांक 14/42/1,ग्राम धनपुरा, पटवारी हल्का क्रमांक. 20,तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव चतुसीमा:- उत्तर:- सुशीला श्रीवास्तव की भूमि दक्षिण:- सुमन श्रीवास्तव की भूमि पूर्व:- रास्ता पश्चिम:- राहुल श्रीवास्तव की भूमि कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 0.309 हेक्टर ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 03/12/2015 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-24/06/2016 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु 8,00,000/-
					रु 80,000/-
					रु 10,000/-



क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
6.	बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.)	1.M/s निधि डेयरी एवं पशु आहार प्रोप श्री इंद्रजीत यादव पुत्र श्री शिव दास यादव श्री इंद्रजीत यादव पुत्र श्री शिव दास यादव (मृतक)/कानूनी उत्तराधिकारी (मूल उधारकर्ता) पता :- वार्ड क्र. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश 2.श्री राज नारायण यादव पुत्र श्री राम चरित्र यादव (गारंटीदाता) पता :- वार्ड क्र. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश 3.श्री रामवतार यादव पुत्र श्री लच्छू यादव (गारंटीदाता) पता:- वार्ड क्र. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश	रु. 3,53,150/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण 1. बंधक भूमि/ भवन:- पुराना खसरा क्र. 292/3/ग नया खसरा क्र. 292/3/3 ग्राम गोरइया पटवारी हल्का क्र.04 तहसील पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/ संपत्ति बंधक कर्ता :- श्री राजनारायण यादव पुत्र श्री रामचरित्र यादव चतुसीमा:- उत्तर:- सड़क दक्षिण:- सरकारी भूमि पूर्व:- राजराम एवं शीतल प्रसाद द्वारा क्रय की गई भूमि पश्चिम:- वलदी गोंड की भूमि / पड़ती भूमि कुल क्षेत्रफल :- 0.028 हे० ❖ 13.2 नोटिस की दिनांक :- 01/12/2023 ❖ 13.4 नोटिस की दिनांक :-07/06/2024 कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	रु	4,50,000/-
					रु	45,000/-
					रु	5,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के वेबपोर्टल <https://baanknet.com> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर **91-8291220220**, प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail:-recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा:- अजवार , जिला-डिंडोरी (म.प्र.) मोब न:- 75099-77100 , सीधी (म.प्र.) मोब न:-96853-53674, रीवा (म.प्र.) मोब न:- 70000-85241 , पीनोरा जिला- उमरिया (म.प्र.) मोब न:-7982953916, सोहागपुर जिला-शहडोल (म.प्र.) मोब न:-62607 62262, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) मोब न:- 95691 07606 से बैंकिंग कार्य दिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक :- **06/10/2025 से 15/10/2025** को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 (तीस दिन) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

दिनांक: 26/09/2025

स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी





सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक :- 10/11/2025
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
10/11/2025 समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक	10/11/2025 साँय 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक:- 10/11/2025 को (समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) है।
- निविदाकर्ता <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईएमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफार्म <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-PSB Alliance Pvt Ltd द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East, Mumbai-400037 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की



वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल (<https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 91-82912 20220 या E-mail-id support.baanknet@psballiance.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात् नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक:- 10/11/2025 साँय 4.00 बजे तक।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि' के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा



करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

- वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
- सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊँचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
- सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है), आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
- निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध (PSB Alliance Pvt Ltd) के वेब पोर्टल <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) और www.centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।



21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा:- अजवार , जिला-डिंडोरी (म.प्र.) मोब न:- 75099-77100 , सीधी (म.प्र.) मोब न:-96853-53674, रीवा (म.प्र.) मोब न:- 70000-85241 , पीनोरा जिला- उमरिया (म.प्र.) मोब न:-7982953916, सोहागपुर जिला - शहडोल (म.प्र.) मोब न:-62607 62262, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) मोब न:- 95691 07606 से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा (प्राधिकृत अधिकारी) (मो:-91-96930 96247), श्री हर्षित श्रीवास्तव (मो:- 91- 63878 24718), श्री संजय कैन (मो:-91-9407586814) , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ई-मेल-recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

स्थान : शहडोल
दिनांक : 26/09/2025

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी





सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि. 10/11/2025

क्षेत्रीय कार्यालय: शहडोल, द्वितीय तल, शुभ काम्पलेक्स,

न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.) 484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 30 (तीस दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रसारित है, का मौलिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	ऋण/प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक आधिपत्य दिनांक बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	साम्य बंधक अचल संपत्तियों का विवरण/कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि किड वृद्धि राशि
1.	1. श्री संदीप कंसकार पिता श्री निरोत्तम कंसकार (मूल उधारकर्ता), पता :- वार्ड का. 6, गन्ना गोदाम, तहसील एवं जिला, डिंडोरी, मध्य प्रदेश, 2. श्री उत्तम चंद कंसकार (मूलक) पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता एवं संपत्ति बंधककर्ता), पता :- वार्ड का. 6, गन्ना गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, वारिसगण - (क) श्रीमती कमला कंसकार (पत्नी), (ख) श्री वीरेंद्र कंसकार (पुत्र), (ग) श्री हिरेंद्र कंसकार (पुत्र), (घ) श्री सुरेन्द्र कंसकार (पुत्र) यदि कोई अन्य वारिसगण हो तो सभी निवासी, वार्ड का. 6, गन्ना गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, 3. श्री चंद्रभान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता), पता :- वार्ड का. 6, गन्ना गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा: अजयार, जिला डिंडोरी (म.प्र.), मोब न:- 7509977100	03.04.2025 08.07.2025 ₹22,71,928/- + अधिव्यवस्थापन + वित्तीय व्यय	प्रथम संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/भवन:- खसरा न. 2/29, वार्ड कमांक 5, गन्ना गोदाम के पास, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री उत्तमचंद कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार, चतुसीमा:- उत्तर:- सड़क, दक्षिण:- नरोत्तम की भूमि, पूर्व :- सड़क, पश्चिम:- नाला, कुल क्षेत्रफल 30x50 = 1500.00 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/इकाई, कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा द्वितीय संपत्ति का विवरण - 2. बंधक भूमि/भवन:- खसरा न. 108/1 अमरपुर, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री चंद्रभान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार, चतुसीमा:- उत्तर:- अमरपुर सलवाह मार्ग, दक्षिण:- स्वयं की भूमि, पूर्व :- शिखरचंद का हिस्सा एवं सरकारी भूमि, पश्चिम:- याकूब खान की जमीन, कुल क्षेत्रफल 20x40 = 800.00 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/इकाई, कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	40,00,000/- 4,00,000/- 10,000/- 15,00,000/- 1,50,000/- 10,000/-
2.	1. श्रीमति पुष्पा सिंह पत्नी श्री दिनेश प्रताप सिंह (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता :- ग्राम सुकवारी उत्तर, पटवारी हल्का सुकवारी मझारी तहसील गोपद बनाव, बनाव जिला सोबी मध्य प्रदेश -486661, संबंधित शाखा: सीधी (म.प्र.), मोब न:- 9685353674	06.03.2025 09.07.2025 ₹27,46,023/- + अधिव्यवस्थापन + वित्तीय व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/भवन:- खसरा का. 120/2, ग्राम सुकवारी उत्तर, पटवारी हल्का सुकवारी मझारी तहसील गोपद बनाव, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्रीमति पुष्पा सिंह पत्नी श्री दिनेश प्रताप सिंह, चतुसीमा:- उत्तर:- सह पट्टेदारों की भूमि, दक्षिण:- यादबेन्द्र सिंह की भूमि, पूर्व :- यादबेन्द्र सिंह की भूमि पश्चिम:- सह पट्टेदारों की भूमि, कुल क्षेत्रफल 0.16 हेक्टर, कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	9,00,000/- 90,000/- 5,000/-
3.	1. मो. ताजुद्दीन खान पुत्र मोमिन खातून (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता), (1) पता :- वार्ड का. 23 शास्त्री नगर ललछाट, बड़ी दरगाह के पीछे, सरदार आखाड़ा के पास, जिला रीवा, मध्य प्रदेश -486001, (2) पता :- ग्राम अमिरती थाना एवं तहसील गुड, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, (3) पता :- तरहटी रीवा थाना सिटी कोतवाली रीवा तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, 2. सायरा बानो पत्नी मो. ताजुद्दीन खान (सह-उधारकर्ता), (1) पता :- वार्ड का. 23 शास्त्री नगर ललछाट, बड़ी दरगाह के पीछे, सरदार आखाड़ा के पास, जिला रीवा, मध्य प्रदेश -486001, (2) पता :- ग्राम अमिरती थाना एवं तहसील गुड, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, (3) पता :- तरहटी रीवा थाना सिटी कोतवाली रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्य प्रदेश, 3. मो. शाफिक अंसारी पुत्र मो. शरीफ अंसारी (गारंटीदाता), पता :- मकान का. 309/26 वार्ड का. 26 बिछिया रीवा मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा: रीवा (म.प्र.), मोब न:- 7000085241	02.04.2025 26.06.2025 ₹1,56,661/- + अधिव्यवस्थापन + वित्तीय व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/भवन:- खसरा का. 568/1/3/1 वार्ड का. 23 शास्त्री नगर, ललछाट, बड़ी दरगाह के पीछे, सरदार आखाड़ा के पास, जिला रीवा मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- मो. ताजुद्दीन खान पुत्र मोमिन खातून, चतुसीमा:- उत्तर:- करीम बख्श उर्फ मुन्ना अंसारी की बुनियादी/पिलर युक्त भूमि, दक्षिण:- अब्दुल शकूर अंसारी की मय बाउंड्री बाल एवं शेष भूमि एवं मकान, पूर्व :- हली बेगम मंसूरी का मकान एवं संपत्ति, पश्चिम:- 08 फीट चौड़ा चौप-पटिया का खंडा, कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 10x40=400.00 वर्ग फीट/0.004है. / 37.174 वर्ग मीटर उस पर निर्मित भवन/इकाई कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	15,60,000/- 1,56,000/- 5,000/-
4.	1. श्री विद्यासागर उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता), (क) पता:- ग्राम मुदरिया, पोस्ट पाली, जिला उमरिया (म.प्र.), (ख) पता :- मकान कमांक 2/7, लाल बहादुर वार्ड कमांक-2, राधे कृष्ण मंदिर एवं मानस मण्डल स्कूल के पास, थाना - कुटला, कटनी (म.प्र.), 2. श्री पदमराग उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय (गारंटीदाता), पता:- ग्राम मुदरिया, पोस्ट पाली, जिला उमरिया (म.प्र.), संबंधित शाखा: पीनोरा जिला उमरिया (म.प्र.), मोब न:- 7982953916	24.05.2013 15.05.2014 ₹15,28,665/- + अधिव्यवस्थापन + वित्तीय व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/भवन:- खसरा कमांक 196 पटवारी हल्का कमांक-05, ग्राम मुदरिया, पोस्ट पाली, जिला उमरिया मध्य प्रदेश भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री विद्यासागर उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय, चतुसीमा:- उत्तर:- बिलोहा की भूमि, दक्षिण:- विकेता की भूमि, पूर्व :- रास्ता, पश्चिम:- विकेता की भूमि, कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 40x50=2000.00 वर्ग फीट/ उस पर निर्मित भवन/इकाई कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	4,15,000/- 41,500/- 5,000/-
5.	1. इन्फांटेक सेल्स एंड सर्विस प्रोप श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता), पता:- ग्राम धनपुरा, तहसील बुंदर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश, 2. श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता), (क) पता:- ग्राम धनपुरा, तहसील बुंदर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश, (ख) पता:- बड़ा अखाड़ा के पास, देवी जी मार्ग, जिला महर, मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा: सोहगपुर जिला शहडोल (म.प्र.), मोब न:- 6260762262	03.12.2015 24.06.2016 ₹10,46,681/- + अधिव्यवस्थापन + वित्तीय व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/भवन:- खसरा कमांक 14/42/1, ग्राम धनपुरा, पटवारी हल्का कमांक 20, तहसील बुंदर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, चतुसीमा:- उत्तर:- सुशीला श्रीवास्तव की भूमि, दक्षिण:- सुमन श्रीवास्तव की भूमि, पूर्व :- रास्ता, पश्चिम:- राहुल श्रीवास्तव की भूमि, कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 0.309 हेक्टर, कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	8,00,000/- 80,000/- 10,000/-
6.	1. मेसर्स निधि डेयरी एवं पशु आहार प्रोप श्री इंद्रजीत यादव पुत्र श्री शिव दास यादव (मूलक)/कानूनी उत्तराधिकारी (मूल उधारकर्ता), पता :- वार्ड का. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश, 2. श्री राजनारायण यादव पुत्र श्री राम चरित्र यादव (गारंटीदाता), पता :- वार्ड का. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश, 3. श्री रामचरण यादव पुत्र श्री लक्ष्मण यादव (गारंटीदाता), पता :- वार्ड का. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा: बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.), मोब न:- 9669107606	01.12.2023 07.06.2024 ₹3,53,150/- + अधिव्यवस्थापन + वित्तीय व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/भवन:- पुराना खसरा का. 292/3/ग नया खसरा का. 292/3/3 ग्राम गोरखिया पटवारी हल्का का. 04 तहसील पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/संपत्ति बंधककर्ता :- श्री राजनारायण यादव पुत्र श्री रामचरित्र यादव, चतुसीमा:- उत्तर:- सड़क, दक्षिण:- सरकारी भूमि, पूर्व :- राजराम एवं शीतल प्रसाद द्वारा कय की गई भूमि, पश्चिम:- जलदी गोंड की भूमि/पड़ौसी भूमि, कुल क्षेत्रफल - 0.028 है. कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	4,50,000/- 45,000/- 5,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के व्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट उर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail: recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कर्मादेशों में कार्याधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं शीर्षक दस्तावेजों/दूसरे दस्तावेजों/संपत्ति के निरीक्षण/जानकारी हेतु: संबंधित शाखा - अजयार जिला-डिंडोरी (म.प्र.) मोब न: 75099-77100, सीधी (म.प्र.) मोब न:- 96853-53674, रीवा (म.प्र.) मोब न: 70000-85241, पीनोरा जिला उमरिया (म.प्र.) मोब न:- 7982953916, सोहगपुर जिला-शहडोल (म.प्र.) मोब न:- 6260762262, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) मोब न:- 9669107606 से बैंकिंग कार्य दिवसों में कार्याधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक - 06/10/2025 से 15/10/2025 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणों/प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार को सफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 (तीस दिन) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना।

दिनांक: 28.09.2025, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

के शिव बरामद किए। पुलिस के अनुसार शुभम करदाते (25) और रोशनी (24) ने चार वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। उनका एक दो साल का बेटा है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद के कारण शुभम एवं रोशनी द्वारा आत्महत्या का कारण सामने आया है।

गया है। यह कि राजेश कुमार नामदेव एवं राजेश नामदेव दोनों ही नाम मेरे पिता के अर्थात एक ही व्यक्ति के नाम हैं उनको एक ही माना समझा पढ़ा लिखा जावे।

गलत नाम- राजेश नामदेव
सही नाम- राजेश कुमार नामदेव

अतः खसरा नं. 2/29, वाई कमांक 5, गला गोदाम के पास, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- श्री उत्तमचंद कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता एवं संपत्ति बंधककर्ता), पता :- वाई का. 6, गला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, ब्रारिसण - (क), श्रीमती कमला कंसकार (पत्नी), (ख), श्री वीरेंद्र कंसकार (पुत्र), (ग), श्री हिरेंद्र कंसकार (पुत्र), (घ), श्री सुप्रेम कंसकार (पुत्र) यदि कोई अन्य दारिसण हो तो सभी निवासी, वाई का. 6, गला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, 3. श्री चंद्रमान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता / संपत्ति बंधककर्ता), पता :- वाई का. 6, गला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा : अजवार, जिला डिंडोरी (म.प्र.), मोब नं. - 75099 77 100

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

निविदाई खोलना	07.10.2025 को सुबह 11:30 बजे
इच्छुक निविदाकर्ता कृपया पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए विस्तृत ई निविदा (ई-एनआईटी) देखें, जिसे www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किया जा सकता है।	
एसडी/- प्रमुख सीएमडी, सीएमजी, एचएसएफसी	

हाईकोर्ट का फैसला- रावण के पुतले के अलावा सोनम या अन्य का पुतला नहीं जलाया जा सकता

इंदौर @ पत्रिका. विजया दशमी पर रावण के पुतले के स्थान पर सोनम रघुवंशी या अन्य किसी का पुतला जलाने पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगाई है। सोनम की मां ने इस तरह पुतला दहन पर रोक लगाने को लेकर याचिका लगाई थी। इस संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रणव वर्मा ने कहा, यह कृत्य कानून के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसकी बेटी और उसके पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ऐसा कोई कृत्य होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे याचिकाकर्ता और उसके परिवार की छवि धूमिल हो। उन्होंने आदेश में कहा, प्रतिवादी ऐसा करने का इरादा रखता है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना पूरी तरह से अनुचित होगा। भले ही याचिकाकर्ता की पुत्री किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त हो और प्रतिवादी की शिकायत कुछ भी हो। उनके और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध ऐसे पुतला दहन की अनुमति नहीं दी जा सकती। आदेश में कहा गया है कि विजयादशमी के अवसर पर प्रतिवादी या कोई अन्य व्यक्ति या संगठन रावण के पुतले के स्थान पर याचिकाकर्ता की बेटी या किसी अन्य व्यक्ति का पुतला न जलाए। इंदौर में पौरुष संस्था ने दशहरा पर सोनम, मुस्कान सहित अन्य 11 महिलाओं के पुतले रावण के पुतले के स्थान पर जलाने की घोषणा की थी। इस पर सोनम की मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 30 (तीस दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास निरखी/ प्रमाणित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋणखाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक आविष्य दिनांक बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	साम्य बंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आपेक्षित मूल्य अंतिम धरोहर जमा राशि विधि वृद्धि राशि
1.	1. श्री संदीप कंसकार पिता श्री निरोत्तम कंसकार (मूल उधारकर्ता), पता :- वाई का. 6 गला गोदाम, तहसील एवं जिला, डिंडोरी, मध्य प्रदेश, 2. श्री उत्तम चंद कंसकार (मूलक) पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता एवं संपत्ति बंधककर्ता), पता :- वाई का. 6, गला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, ब्रारिसण - (क), श्रीमती कमला कंसकार (पत्नी), (ख), श्री वीरेंद्र कंसकार (पुत्र), (ग), श्री हिरेंद्र कंसकार (पुत्र), (घ), श्री सुप्रेम कंसकार (पुत्र) यदि कोई अन्य दारिसण हो तो सभी निवासी, वाई का. 6, गला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, 3. श्री चंद्रमान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार (गारंटीदाता / संपत्ति बंधककर्ता), पता :- वाई का. 6, गला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा : अजवार, जिला डिंडोरी (म.प्र.), मोब नं. - 75099 77 100	03.04.2025 08.07.2025 ₹ 22,71,928/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	प्रथम संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि/ भवन - खसरा नं. 2/29, वाई कमांक 5, गला गोदाम के पास, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- श्री उत्तमचंद कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार, चतुसीमा:- उत्तर-सड़क, दक्षिण:- नरांम की भूमि, पूर्व :- सड़क, पश्चिम:- नाला, कुल क्षेत्रफल 30x50 = 1500.00 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन / इकाई, कब्जे का प्रकार - प्रतीकात्मक कब्जा द्वितीय संपत्ति का विवरण - 2. बंधक भूमि/ भवन - खसरा नं. 108/1 अमरपुर, तहसील एवं जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- श्री चंद्रमान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार, चतुसीमा:- उत्तर-अमरपुर सतवाहन मार्ग, दक्षिण:- स्वयं की भूमि, पूर्व :- शिखरचंद का हिस्सा एवं सरकारी भूमि, पश्चिम:- याकूब खान की जमीन, कुल क्षेत्रफल 20x40 = 800.00 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन / इकाई, कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	40,00,000/- 4,00,000/- 10,000/- 15,00,000/- 1,50,000/- 10,000/-
2.	1. श्री विद्यासागर उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता), (क), पता - ग्राम मुदरिया, पोस्ट पाली, जिला उमरिया (म.प्र.), (ख), पता - मकान कमांक 2/7, लाल बहादुर वाई कमांक 2, राधे कृष्ण मंदिर एवं मानस मण्डल स्कूल के पास, थाना - कुदला, कदनी (म.प्र.), 2. श्री पद्मराग उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय (गारंटीदाता), पता - ग्राम मुदरिया, पोस्ट पाली, जिला उमरिया (म.प्र.), संबंधित शाखा : पीनोरा जिला उमरिया (म.प्र.), मोब नं. - 7982953916	24.05.2013 15.05.2014 ₹ 15,28,665/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि / भवन - खसरा कमांक 196 पटवारी हल्का कमांक-05, ग्राम मुदरिया, पोस्ट पाली, जिला उमरियामध्य प्रदेश भू-स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता :- श्री विद्यासागर उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय, चतुसीमा:- उत्तर- बिलोहा की भूमि, दक्षिण:- विक्टो की भूमि, पूर्व :- रास्ता, पश्चिम:- विक्टो की भूमि, कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 40x50=2000.00 वर्ग फीट / उस पर निर्मित भवन / इकाई कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	4,15,000/- 41,500/- 5,000/-
3.	1. इन्फ्रान्टेक सेल्स एंड सर्विस प्रोप श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता), पता - ग्राम धनपुर, तहसील बुंदर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश, 2. श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता), (क), पता - ग्राम धनपुर, तहसील बुंदर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश, (ख), पता - बड़ा अखाड़ा के पास, देवी जी मार्ग, जिला मेहर, मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा : सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.), मोब नं. - 62607 62262	03.12.2015 24.06.2016 ₹ 10,46,681/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि / भवन:- खसरा कमांक 14/42/4, ग्राम धनपुर, पटवारी हल्का कमांक 20, तहसील बुंदर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, भू-स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता :- श्री विराज श्रीवास्तव पुत्र स्व. गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, चतुसीमा:- उत्तर- सुशीला श्रीवास्तव की भूमि, दक्षिण:- सुमन श्रीवास्तव की भूमि, पूर्व :- रास्ता, पश्चिम:- राहुल श्रीवास्तव की भूमि, कुल क्षेत्रफल :- क्षेत्रफल 0.309 हेक्टर, कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	8,00,000/- 80,000/- 10,000/-
4.	1. मेसेर्स निधि डेयरी एवं पशु आहार प्रोप श्री इंदरजीत यादव पुत्र श्री शिव दास यादव श्री इंदरजीत यादव पुत्र श्री शिव दास यादव (मूलक)/ कानूनी उत्तराधिकारी (मूल उधारकर्ता), पता - वाई का. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश, 2. श्री राज नारायण यादव पुत्र श्री राम चरित्र यादव (गारंटीदाता), पता - वाई का. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश, 3. श्री रामदास यादव पुत्र श्री लच्छू यादव (गारंटीदाता), पता - वाई का. 13 बीरसिंह पुर पाली मुख्य मार्ग कालरी गेट के पास मध्य प्रदेश, संबंधित शाखा : बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.), मोब नं. - 95691 07606	01.12.2023 07.06.2024 ₹ 3,53,150/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	संपत्ति का विवरण - 1. बंधक भूमि / भवन - पुराना खसरा का. 292/3/ग नया खसरा का. 292/3/3 ग्राम गोरइया पटवारी हल्का का.04 तहसील पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश, भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- श्री राजनारायण यादव पुत्र श्री रामचरित्र यादव, चतुसीमा:- उत्तर- सड़क, दक्षिण - सरकारी भूमि, पूर्व :- राजराम एवं शीतल प्रसाद द्वारा कय की गई भूमि, पश्चिम:- बलदी गोंड की भूमि / पक्की भूमि, कुल क्षेत्रफल :- 0.028 है. कब्जे का प्रकार :- प्रतीकात्मक कब्जा	4,50,000/- 45,000/- 5,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के व्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <http://psbanet.com> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य सबन्धित जानकारी हेतु हेलपलाइन नंबर 91-8291220220, प्राधिकृत अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail:- recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यालय के दौरान संपर्क कर सकते हैं शीर्षक दर्तावेजों / दूसरे दर्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण / जानकारी हेतु संबंधित शाखा - अजवार जिला-डिंडोरी (म.प्र.) मोब नं. 75099-77100, पीनोरा जिला उमरिया (म.प्र.) मोब नं. - 7982953916, सोहागपुर जिला-शहडोल (म.प्र.) मोब नं. - 62607 62262, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) मोब नं. - 95691 07606 से बैंकिंग कार्य दिवसों में कार्यालय के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक :- 06/10/2025 से 15/10/2025 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 (तीस दिन) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना।

दिनांक : 26.09.2025, स्थान : शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

3.	डु
4.	डु
5.	डु
6.	डु
7.	डु
8.	डु
9.	डु
10.	डु
11.	डु
12.	डु
13.	डु
14.	डु
15.	डु

जी - 19268



नैनो एवं मृ पदार्थ विज्ञान शोध आयोग के समिति की नियुक्ति पदधारी व पर, जो भी नियुक्त किए जायेंगे वेतनमान- आवेदक आवेदन/ सत्यापित सर्वेक्षण नोटिस के चाहिए। विस्तृत वि